

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 126

दिनांक 14-08-2025

प्रेषित :-

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
सिरोही।

विषय :- पत्रावली अन्य न्यायालय को हस्तान्तरण बाबत।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस न्यायालय के निम्न प्रकरण में सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को पक्षकार बनाया गया है। चूंकि उक्त का चार्ज वर्तमान में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी स्वयं हितवद्ध पक्षकार होने से उक्त प्रकरण को इस न्यायालय में चालाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है।

अतः निम्न मूल प्रकरण की पत्रावली अन्य न्यायालय को हस्तांतरण हेतु श्रीमानजी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	वाद संख्या	अन्तर्गत धारा	अनवान	आदेशिका संख्या	पृष्ठ संख्या
1	11/2024	136 एल.आर. एक्ट	किरण जे. त्रिवेदी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य	1 से 5	1 से 41

संलग्न - उपरोक्तानुसार मूल पत्रावली

भवदीय

उपखण्ड अधिकारी
आबूपर्वत

